



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2019/ज्येष्ठ 10, 1941

No. 332]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2019/JYAISTHA 10, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2019

सा.का.नि. 396(अ).—पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित, पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित ड्राफ्ट नियम का प्रस्ताव करती है, जो ऐसे सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त ड्राफ्ट नियम पर यह अधिसूचना प्रकाशित करने वाले भारत के शासकीय राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, उसे श्री सुशील कमलाकर सतपुते, निदेशक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011 अथवा sushil.satpute@nic.in पर ई-मेल पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त ड्राफ्ट नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप और/या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

ड्राफ्ट नियम

- 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2019 है।
- 2) पेटेंट नियम, 2003 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 21 में, उप-नियम (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“(2) जहां उप-नियम (1) में जहां निर्दिष्ट पूर्विक्ता प्राप्त दस्तावेज संधि के नियम 51 बिस. 1 (ई) के तहत दायर किया जाना अपेक्षित है, और यदि वह अंग्रेजी भाषा में नहीं है, तो आवेदक द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद, समुचित कार्यालय द्वारा इसे दाखिल करने के लिए आमंत्रित करने की तारीख से तीन मास के भीतर दाखिल किया जाएगा।

“(3) जहां आवेदक उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (2) की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है, अधिनियम के प्रयोजनार्थ पूर्विक्ता के लिए आवेदक के दावे को नहीं माना जाएगा।

3) मूल नियम के नियम 131 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विवरण को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के संबंध में एक बार भेजा जाएगा जो, जिस वर्ष में पेटेंट अनुदान किया गया, उसके तुरंत बाद वाले कैलेंडर वर्ष से शुरू होगा, तथा ऐसे प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर भेजा जाएगा।”

4) मूल नियमों की द्वितीय अनुसूची में, प्रारूप 27 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“प्रारूप 27

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

कोई फीस नहीं

पेटेंट किए गए आविष्कार के भारत में वाणिज्यिक पैमाने पर क्रियान्वयन के संबंध में विवरण

[धारा 146(2) व नियम 131(1) देखें]

1. नाम, पता, राष्ट्रीयता, पेटेंट संख्या लिखें	मैं/हम, पेटेंटी / अनुज्ञप्तिधारी* , पेटेंट संख्या , के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता हूँ/ करते हैं,
2. वह कैलेंडर वर्ष जिससे यह विवरण संबन्धित है	कैलेंडर वर्ष के संबंध में
3. क्रियान्वित किया गया / क्रियान्वित नहीं किया गया	{ } क्रियान्वित किया गया { } क्रियान्वित नहीं किया गया [उचित बॉक्स पर निशान लगाएँ]
4. यदि क्रियान्वयन हुआ, विवरण	(क) जहां पेटेंट की विषय वस्तु उत्पाद है, पेटेंटी(यों) / अनुज्ञप्तिधारी को उस उत्पाद से भारत में निम्न के माध्यम से उपार्जित अनुमानित मूल्य का विवरण: (क1) भारत में विनिर्मित (भारतीय रुपये में) (क2) भारत में आयातित (भारतीय रुपये में) (ख) जहां पेटेंट की विषय-वस्तु प्रक्रिया है, पेटेंटी(यों) / अनुज्ञप्तिधारी को उस प्रक्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भारत में निम्न के माध्यम से उपार्जित अनुमानित मूल्य का विवरण: (ख1) भारत में विनिर्मित (भारतीय रुपये में)

	<p>(ख2) भारत में आयातित (भारतीय रुपये में)</p> <p>टिप्पणी: जहां किसी विशेष पेटेंट किए गए आविष्कार से उपार्जित मूल्य को अन्य संबंधित पेटेंट से उपार्जित मूल्य से पृथक नहीं किया जा सकता है, और ऐसे सभी पेटेंट एक ही पेटेंटी (यों) को दिए गए हैं, ऐसे सभी पेटेंटों का विवरण, पेटेंट संख्या सहित भाग (ग) में प्रस्तुत किया जाएगा, और ऐसे सभी पेटेंटों से उपार्जित मूल्य ऊपर (क) और / या (ख) में प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>(ग) उपरोक्त (क) और / या (ख) के संबंध में विवरण प्रस्तुत करें</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
5. यदि क्रियान्वयन नहीं किया गया है, तो क्रियान्वयन नहीं होने का औचित्य के साथ विवरण	<p>विवरण प्रदान करें(अधिकतम 500 शब्द)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
	<p>ऊपर कथित तथ्य और विषय मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।</p> <p>हम स्वीकार करते हैं कि यह जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।</p> <p>दिनांक 20.....</p>
6. विवरण प्रदान करने वाले पेटेंटी(यों)/अनुज्ञसिधारी(यों) द्वारा हस्ताक्षरित	<p>हस्ताक्षर</p> <p>सेवा में,</p> <p>पेटेंट नियंत्रक</p> <p>पेटेंट कार्यालय</p>

* प्रत्येक पेटेंटी तथा प्रत्येक अनुज्ञसिधारी (अनन्य या अन्यथा) द्वारा यह प्रारूप दाखिल किया जाना अपेक्षित है; जहां पेटेंट दो या दो से अधिक व्यक्तियों को अनुदानित है, ऐसे सभी पेटेंटी संयुक्त रूप से यह प्रारूप दाखिल कर सकते हैं; तथापि प्रत्येक अनुज्ञसिधारी यह प्रारूप व्यक्तिगत रूप से दाखिल करेगा।”

[फा. सं. 09/26/2015-आईपीआर-III]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2019

G.S.R.396(E).—The following draft rules to further amend the Patents Rules, 2003 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970, are hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty

days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to Shri Sushil K Satpute, Director, DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 or by e-mail at sushil.satpute@nic.in.

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2019.
- 2) In rule 21 of the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), for sub-rule (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(2) Where priority document referred to in sub-rule (1) is required to be filed under Rule 51*bis*.1 (e) of Regulations under the Treaty, and if it is not in the English language, an English translation thereof duly verified by the applicant or the person duly authorized by him shall be filed within three months from the date of inviting to file it by the Appropriate Office.

“(3) Where the applicant does not comply with the requirements of sub-rule (1) or sub-rule (2), the claim of the applicant for the priority shall be disregarded for the purposes of the Act.
- 3) In rule 131 of the principal rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The statements referred to in sub-rule (1) shall be furnished once in respect of every calendar year, starting from the calendar year commencing immediately after the calendar year in which the patent was granted, and shall be furnished within 3 months from the expiry of each such calendar year.”
- 4) In THE SECOND SCHEDULE of the principal rules, for Form 27, the following Form shall be substituted, namely:-

“FORM 27

THE PATENTS ACT, 1970

(39 of 1970)

AND

THE PATENTS RULES, 2003

No Fee

STATEMENT REGARDING THE WORKING OF PATENTED INVENTION ON A COMMERCIAL SCALE IN INDIA

[See section 146(2) and rule 131(1)]

1. Insert name, address, nationality, Patent number	I/ We, the Patentee(s)/ Licensee*, in respect of patent number....., furnish this statement,
2. State the calendar year to which the statement relates.	in respect of the calendar year
3. Worked / not worked	{ <input type="checkbox"/> } Worked { <input type="checkbox"/> } Not worked [Tick mark the relevant box]
4. If worked, details	(a) where the subject matter of the patent is a product, approximate value accrued in India to the patentee(s)/ licensee furnishing the statement from that product through: (a1) Manufacturing in India..... (in INR) (a2) Importing into India..... (in INR) (b) where the subject matter of the patent is a process, approximate value accrued in India to the patentee(s)/ licensee furnishing the statement from the product(s) obtained directly by that process through:

	<p>(b1) Manufacturing in India..... (in INR)</p> <p>(b2) Importing into India..... (in INR)</p> <p>NOTE: Where the value accrued from a particular patented invention cannot be derived separately from the value accrued from related patents, and all such patents are granted to the same patentee(s), the details of all such patents, including the patent numbers, shall be provided in part (c) below, and value accrued from all such patents will be provided in (a) and/ or (b) above.</p> <p>(c) Provide details in respect of (a) and/or (b) above</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 10px;"></div>
5. If not worked, details with justification for not working	<p>Provide details (maximum 500 words)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 10px;"></div>
	<p>The facts and matters stated above are true to the best of my/ our knowledge, information and belief.</p> <p>We acknowledge that this information would be made public.</p> <p>Dated this day of 20.....</p>
6. To be signed by Patentee(s) and / or Licensee(s) giving the statement	<p>Signature(s)</p> <p>To</p> <p>The Controller of Patents,</p> <p>The Patent Office</p>

* Every patentee and every licensee (exclusive or otherwise) is required to file this Form; where a patent is granted to two or more persons, all such patentees may file this Form jointly; however, each licensee shall file this Form individually."

[F. No. 09/26/2015-IPR-III]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.